न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ राज.
बइजलास – श्री राजेश कुमार नायक **R.A.S.**

1. श्री उँकारलाल पिता भेरा जी जाति माली आयु 84 वर्ष निवासी प्रतापगढ राज.

....................वादी

............बनाम..........

1. श्री मांगीलाल पिता पन्नालाल माली मृतक के वारिसान;
   1/1 श्री प्रेमचन्द पिता मागीलाल जाति माली आयु 40 वर्ष
   1/2 श्री श्याम पिता मांगीलाल जाति माली आयु 35 वर्ष
2. श्री अम्बालाल पिता पन्ना लाल जी जाति माली आयु 73 वर्ष
3. श्री जमनालाल पिता पन्ना लाल जी जाति माली आयु 64 वर्ष
4. श्री राधेश्याम पिता पन्ना लाल जी जाति माली आयु 53 वर्ष
5. श्री अमृत राम पिता पन्ना लाल जी जाति माली आयु 47 वर्ष सभी निवासी यान रामद्वारे के पास, उपरवास, प्रतापगढ राज.
6. श्री तहसीलदार, प्रतापगढ राज.

....................प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ (राज.)

वाद अतर्गत धारा 88–89,188 व 136 राज. टिनेन्सी एक्ट

मुकदमा नम्बर–195/1994
निर्णय दिनांक :– 08/08/2024

उपस्थितः–

1. श्री अजय कुमार पिछोलिया अधिवक्ता वादी उपस्थित ।
2. श्री प्रमोद तम्बोली अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित प्रति.स. 3 की ओंर से।
3. श्री प्रवीण बोरदिया अधिवक्ता प्रतिवादी अनुपस्थित प्रति. स. 1/1।
4. शेष प्रतिवादीगण की ओंर से कोई उपस्थित नहीं।

–:निर्णय:-

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी उँकारलाल ने एक वाद इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.9.1994 को इस आशय का पेश किया कि वर्तमान मे मौजा प्रतापगढ मे स्थित आराजी नम्बर 513 रकबा 0.04, 515 रकबा 0.05, 516 रकबा 0.03, 518 रकबा 0.018,519 रकबा 0. 02, 520 रकबा 0.25, 521 रकबा 0.26, 522 रकबा 0.27, 523 रकबा 0.38, 524 रकबा 0.18,544 रकबा 0.05, 545 रकबा 0.37, 1666 रकबा 0.19, 1667 रकबा 0.47, 1668 रकबा 0.07, 1670 रकबा 0.42, 1671 रकबा 0.20, 1672 0.05, 1673 रकबा 0.51, कुलिया किता 19 कुलिया रकबा 4.00 हेक्टर मौजा प्रतापगढ मे वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते मे दर्ज होकर अभी वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। जिसे आगे चलकर वादग्रस्त आराजीयात कहा जावेगा। उक्त आराजीयात वादी के पिता श्री भेराजी की स्वं–अर्जित(Self-aquired) संपत्ति है। तथा वादी के पिता भेंराजी ने वादग्रस्त आराजीयात बाबत एक वसीयत–नामा दिनांक 12.4.1952 को वादी के पक्ष मे सम्पादित कर पंजीयन करा दिया था। वादी के पिता भेराजी जीवन पर्यन्त वादी के पास ही रहे। तथा उनका देहान्त भी उसी के पास रहते हुवे हुवा जिसका अंतिम कार्यकम भी वादी ने ही पुरे किये। इसके अलावा वाद मे वादी ने यह भी अभिकथित किया कि वादी के बालिग होने के साथ ही समस्त वादग्रस्त आराजीयात वादी के ही कब्जे काश्त मे रही। वादी के पिता के देहान्त के पश्चात् वादी ने इसकी जानकारी वसीयत नामे के साथ संबंधित पटवारी हल्का को देदी थी। वाद पेश होनें से पहले

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ

प्रतिवादीगण वादी के पास आये व कहा कि जमीन मे हमारा भी आधा हिस्सा हे। दो नही तो कब्जा करेंगे। वादी ने उनको बताया कि पिताजी समस्त जायदाद मय वादग्रस्त भूमि के उसके वसीयत कर गये है तो वह नही माने। वादी के पटवारी के पास जाने पर पतपा चला कि प्रतिवादी के पिता पन्नालाल ने दुर्भावना से वादग्रस्त आराजीयात मे आधे हिस्से के रुप मे विरासत से अपना नाम जुडा लिया है। तथा इस गलत इन्द्राज के आधार पर वे वादग्ररस्त जमीन हडपना चाहते है। ईसलिये वादी ने यह वाद दायर कर वादग्रस्त आराजीयात को वसीयत के आधार पर स्वयं स्वामित्व मे होने की घोषणा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद पेंश किया।

वाद दर्ज रजिसटर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी कमांक 1,2,4,6 व 7 की ओर से जवाबदावा पेश किया जाकर यह प्रतिवाद लिया गया कि वादग्रस्त आराजीयात भेराजी की स्व.–अर्जित संपत्ति नहीं होकर मोरुसी थी। ईसलिये विरासत के आधार पर नामांतरण सही तरीके से खोला गयाा। जवाब दावे मे उनकी ओर से यह भी प्रतिवाद लिया गया कि भेराजी द्वारा तथा–कथित वसीयत नही की गई। अगर की गई भी मानी जावे तो उससे पहले भेराजी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बॅटवारा कर दिया था। जिसमे एरियापति क्षैत्र वाली आराजीयात वादी के हिस्से मे तथा गुमान जी की ओडी वाली आराजीयात प्रतिवादीगण के हिस्से मे दी गई थी। तथा पिछले 30 वर्षो से वे काबिज है। वादी का कोई कब्जा नही है। विशेष–कथन मे उन्होने यह भी अभिवाचित किया कि गुमानीराम जी की ओडी वाली आराजीयात पेतृक–संपत्ति है।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया।

उपरोक्त दावे एवं जवाबदावे के कथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न तनकीया कायम की गई:–

1. क्या वाद चरण संख्या एक मे वर्णित आराजीयात भेराजी माली की स्व–अर्जित थी। व इसका वसीयत–नामा भेराजी ने बहक वादी दिनांक 12.4.1952 को तहरीर कर पंजीकृत कराया ?

.......जिम्मे वादी

2. क्या वादी के बालिग होने पर भेराजी ने उनकी समस्त अचल–संपत्ति कृषि–भूमि वगैरा वादी के सिपुर्द की ?

....जिम्मे वादी

3. क्या वाद प्रस्तुत करने के आठ रोज पहले प्रतिवादीगण आधा हिस्सा वादग्रस्त आराजी मे लेने आये व जबरन लेने का इरादा जाहिर किया व पन्नालाल ने आधे हिस्से का नामांतरण खुलवा लिया व पश्चात् प्रतिवादीगण कमांक एक से 7 ने आधे हिस्से का नांमांतरण खुलवा लिया ?

.......जिम्मे वादी

4. क्या वादी वादग्रस्त आराजीयात का तन्हा खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी है ?

...........जिम्मे वादी

5. क्या वादी प्रतिवादीगण के विरुद्व स्थाई निषेद्याज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी ?

.......जिम्मे वादी

6. क्या भेराजी ने अपनी कृषि–भूमि का विभाजन कर वादग्रस्त जायदाद पन्नालाल के हिस्से मे व कब्जे मे दी व एरियापति हनुमान जी के क्षैत्र मे स्थित कृषि–भूमि वादी के हिस्से व कब्जे मे दी व इस प्रकार के विभाजन मे ऐसी कोई वसीयत भी है तो वह अप्रभावी हो गई है

........जिम्मे प्रतिवादीगण

7. दादरसी क्या होगी ?

तत्पश्चात् वादी ने अपने वाद के समर्थन मे तीन गवाह यथा पी.डब्ल्यु–1 उॅकारलाल, पी डब्ल्यु–2 फारुक तथा पी. डब्ल्यु–3 संतराम के बयान रेकर्ड कराये। तथा दस्तावेजात के रुप मे प्रदर्श 1 से लगायत 16 प्रदर्शित कराये।

तद्परान्त प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे के समर्थन मे गवाह पी.डब्ल्यु–1 जमनालाल, पी. डब्ल्यु–2 आजाद तथा पी.डब्ल्यु–3 भॅवरलाल के बयान रेकर्ड कराये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप मे प्रदर्श 1 से लगायत 12 तक दस्तावेज प्रदर्शित कराये।

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ

दोनो पक्षो द्वारा अपनी–अपनी साक्ष्य पुर्ण कियें जाने के पश्चात् बहस अंतिम सुनी गई।

दौराने बहस वादी के अधिवक्ता श्री पिछोलिया ने अपनी बहस मे वाद मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुवे तर्क दिये कि वादग्रस्त आराजीयात के बाबत स्वं भेराजी ने वसीयत वादी के पक्ष मे निष्पादित की थी वह उसके नाबालिग रहने के दोरान की थी। तथा उक्त वसीयत के द्वारा भेराजी ने वसीयत

Scanned with CamScanner

मे दर्ज आराजीयात के साथ–साथ अपनी संपुर्ण चल व अचल संपत्ति भी वादी के पक्ष मे वसीयत कर दी थी। तथा उक्त वसीयत को न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश मे धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के आवेदन को स्वीकार करते हुवे साक्ष्य मे ग्राहृय माना है। जिसकी कोई अपील अथवा निगरानी प्रतिवादीगण ने द्वारा नही किये जाने से उक्त आदेश अंतिम होकर विवादित वसीयत साक्ष्य मे ग्राह्य मानी गई जिसके आधार पर भेराजी ने अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति वादी के नाम पर वसीयत की थी। यह प्रमाणित हो गया प्रतिवादी की ओर से इसे खण्डन मे भी कोई साक्ष्य पेश नही की है। यहॉ तक कि प्रतिवादी जमनालाल ने भी अपनी जिरह के दौरान इर तथ्य को स्वीकार किया है कि भेराजी ने अगर कोई वसीयत वादग्रस्त आराजीयात के बाबत वादी के पक्ष मे की हो तो उसे जानकारी नही है। अर्थात वसीयत गलत अथवा फर्जी है। ऐसा कोई कथन नहीं किया। ईसलिये वादी की ओर से यह साबित किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात वसीयत के आधार पर वादी ही स्वामी घोषित होने का अधिकारी है। जिसके लिये उन्होने इस बाबत न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. (सपलिमेन्ट्री) 2000–2001 राज पेज 414 तथा डी.एन.जे. 2007(3) पेज 1712 नानालाल बनाम शिवदेव सिंह भी पेंश किया जिसमे माननीय अपर न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि अगर वसीयत को प्रमाणित करने के लिये अटेस्टींग विटनेस पेश नही किये जाते है तो न्यायालय धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के अतर्गत 30 वर्ष से भी अधिक पुरानी वसीयत के बारे मे अपना विवेक का उपयोग इस्तेमाल करने के लिये स्वतंत्र है कि आया वसीयत साबित मानी जाये अथवा नहीं चुंकि इस प्रकरण मे वसीयत 1952 की निष्पादित होकर दोनो अटेस्टींग विटनेस का देहांत हो जाने एवं वसीयत तत्कालीन उपखण्ड मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ द्वारा प्रमाणित की गई होने से उसमे शंका की कोई गुजाईश नही रही।

इसके अलावा वादी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि जवाबदावा मे प्रतिवादी जमनालाल ने कोई जवाबदावा पेश नही किया ना ही उसके अधिवक्ता ने तत्कालीन समय मे यह कहा हो कि जो जवाबदावा दीगर प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया हे। वह उसकी ओर से भी मान लिया जावे ईसलिये उक्त परिस्थिति मे जमनालाल की ओर से यह माना जावेगा कि उसने अपने बचाव मे कोई जवाबदावा पेश नहीं किया। इसके लिये उन्होने जा.दी. के आदेश 8 नियम 10 का हवाला देते हुवे बताया कि अगर कोर्द पक्षकार नियत समय मे जवाबदावा पेश करने मे असफल रहता है तो न्यायालय उसके विरुद्व तुरन्त निर्णय सुना सकता है। ईसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण की ओर से जो मौखिक साक्ष्य पेश की गई हे। उसमे दीगर प्रतिवादीगण जिन्होने जवाबदावा पेश किया उनमे से कोई भी गवाह के रुप मे न्यायालय मे पेश नहीं हुवा। बल्कि जिस प्रतिवादी जमनालाल ने जवाबदावा पेश नही किया वह बतौर प्रतिवादी गवाह मे पेश हुवा और उसने ही सारे दस्तावेज प्रदर्शित कराये। जबकि यह विधी का सुस्थापित सिद्वान्त है कि Without pleading no proof can be given ईसलिये यह माना जावेगा कि जब जमनालाल ने जवाबदावा ही पेश नहीं किया तो उसके द्वारा दी गयी साक्ष्य कोई महत्व नही रखती।

वादी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे मे यह कथन किया था कि वादग्रस्त आराजीयात का पुर्व मे ही बॅटवारा हो चुका है। तथा एरियापति वाली आराजीयात वादी के हिस्से मे दी है। तथा गुमान जी की ओडी वाली जमीन प्रतिवादीगण को हिस्से मे दी थी। ईसलिये उक्त आराजीयात के बाबत भेराजी द्वारा की गई वसीयत निष्प्रभावी है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह माना जावे कि वादग्रस्त आराजीयात का पुर्व मे भेराजी ने बॅटवारा कर दिया हो। इसके अलावा ऐरियापति वाली आराजी का रकबा देखा जावे तो यह मात्र साढे सात बीघा यानि 1.40 हेक्टर भुमि ही है। जबकि गुमान जी की ओडी वाली जमीन 11.5 बीधा यानि 2.37 हेक्टर है। जो ऐरियापति रोड की भुमि से 5 बीघा ज्यादा है जो प्रतिवादी के इस दावे को खण्डित करती है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजीयात मे 1/2–1/2 हिस्सा होकर बॅटवारे के हिसाब से काबिज है। जबकि अगर वास्तव मे बॅटवारा हुवा होता तो दोनो के पास 2.00 – 2.00 हेक्टर भुमि होनी चाहिये थी । मात्र जो बयान जमनालाल ने दिया एवं दीगर प्रतिवादीगण के गवाहान ने साक्ष्य दी वह केवल आराजीयात के कब्जे बाबत ही दी है। ऐसी स्थिति मे बॅटवारे एवं विवादित वसीयत के बारे मे प्रतिवादीगण का कोई साक्ष्य पेश नही करना वादी के दावे को पुष्ट करता है।

वादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी निवेदन किया कि वाद के विचाराधीन रहते तथा न्यायालय द्वारा मुल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात के बाबत उभय पक्षो को अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबद किया गया था कि वे मुल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात

उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ

Scanned with CamScanner

को रहन,बय बक्षीश नही करे एवं रिकार्ड एवं मौके का स्थिति को यथावत बनाये रखे। इसके बावजुद भी प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात मेसे कुछ आराजीयात मेसे अपना–हिस्सा बगैर न्यायालय की अनुमति के बेचान कर दिये तथा उसकी पालना मे प्रतिवादी संख्या 6 ने निषेद्याज्ञा होने के बावजुद उनके नामांतरण यथा 5350 दिनांक 25.11.20, 5337 दिनांक 16.12.20, 5366 दिनांक 8.1.2021, 5370 दिनांक 19.1.21, 5404 दिनांक 19.7.21, 5468 दिनांक 10.2.22 तथा 5490 दिनांक 6.6.22 खोलकर स्वीकृत कर दिये। जो स्पष्ट रुप से कानुन की अवहेलना होकर ऐसे बेचान एवं उनके आधार पर स्वीकृत किये गये नामांतरण शुन्य है। तथा उक्त अवैध बेचान के आधार पर केता को बेहतर स्वत्व प्राप्त नहीं होता। इसलिये इन्हे धारा 52 संपत्ति हस्तान्तरण अधि. के तहत निरस्त किया जावे। जिसके लिये उन्होने डी.एन.जे. 2000–2001 राज. पेज 371 राज हाउंसींग बोर्ड बनाम कैलाशचन्द एवं आ.आर.डी. 2017 पेज 655 दाखाबाई बनाम संजय पारीख के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। जिसमे धारित किया गया है कि न्यायालय की अनुमति के बिना किये बये अंतरण वैध नही हे। तथा शुन्यकरणीय है।

इस प्रकार वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चुंकि उन्होने वाद को पुरी तरह साबित किया है। अतः उनका वाद डिक्री किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित किया जावे। तथा जा.दी. के आदेश 7 नियम 7 के अनुसरण मे कब्जा भी दिलाया जावे।

प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री प्रमोद तम्बोली ने बहस करते हुवे लगभग जवाबदावे मे वर्णि तथ्या को दोहराते हुवे तर्क दिया कि वसीयत पुर्ण नही हैं। तथा वादी ने वाद मे पुराने नम्बर दर्ज नही किये। ना ही मिलान–शीट ही पेश की है। वसीयत का दावा मेन्टेबल नही है। इसके अलावा उन्होने यह भी तर्क दिया कि वादी कब बालिग हुवा तथा कब उसे भेंराजी ने कब्जा दिया यह स्पष्ट नही है। तथा आठ दिन पहले वाद कारण उत्पन्न हुया यह भी साबित नही किया। वाद के अनुतोष मे कब्जा नही मांगा गया होने के बावजुद अब कब्जे की मांग कर रहा है जो न्यायोचित नही है। तथा उसका संपुर्ण आराजी पर कब्जा भी नही है। कब्जा लेने के लिये साक्ष्य होना चाहिये।

उन्होने यह भी तर्क दिया कि उन्होने जवाबदावे मे पेतृक संपत्ति थी तथा बॅटवारा भी कर दिया है। यह उज्र उठा रखा हे। तथा कानुनन बॅटवारा हो जाने के बाद वसीयत नहीं की जा सकती है। ईसलिये वसीयत निष्प्रभावी हो गई है। तथा उन्होने यह भी तर्क दिया कि जवादावा पेश नही करने से पक्षकार दावे से बाहर नही होता। तथा वह दावे के आगे की कार्यवाही मे भग ले सकता हे। तथा न्यायालय साक्ष्य हेतू मोका देगी।

इसके अलावा उन्होने यह भी तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजीयात के स्व–अर्जित होने बाबत कोई भी दस्तावे रेकर्ड पर नही है। ईसलिये संपुर्ण आराजीयात पेतृक मानी जावेगी।

उन्होने यह भी बहस की कि वादी ने विवादित नामांतरण के बाबत कोई कार्यवाही सक्षम न्यायालय मे नही की। तथा प्रतिवादीगण के जवाबदावे के मुकाबले जवाब–उल जवाब भी पेश नही किया तथा बॅटवारे का अनुतोष नही मांगा।

उन्होने यह भी तर्क दिया कि वसीयत के बाबत अटेस्टीन्ग–विटनेस के गवाह को पेश करने के आवेदन के बावजूद बयान नही कराये। तथा न्यायालय द्वारा जो धारा 90 साक्ष्य अधिं के बाबत आदेश दिया हे। उसमे वसीयत बाबत उपधारणा की जाती हे। ऐसा आदेश मे दर्ज नही है। वैसे भी वसीयत ऐरियापति वाली आराजयात के बाबत ही की थी जो केवल 9 बीघा की है।

इस प्रकार प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चुकि उन्होने वादी ने वाद को तथा वसीयत को पुरी तरह साबित नही किया है। अतः उनका वाद खारिज किया जावे। तथा वादी को बगैर अनूतोष मांगे वाद के अनुसरण मे कब्जा नही दिलाया जावे।

हमने वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का गभींरता पुर्वक अवलोकन किया। तनकीवार हमारा निर्णय इस प्रकार है।

<u>तनकी संख्या–1</u> क्या वाद की चरण संख्या एक मे वर्णित आराजीयात भेराजी माली की स्व–अर्जित थी। व इसका वसीयत–नामा भेराजी ने बहक वादी दिनांक 12.4.1952 को तहरीर कर पंजीकृत

उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ

Scanned with CamScanner

कराया? ......जिम्मे वादी

इस संबंध मे वादी ने जो मौखिक साक्ष्य पेश की है उसमे वादी उॅकारलाल ने कथन किया कि प्रतापगढ मे भेराजी के नाम जमीन थी। जो 19–20 बीघा है। वह भेराजी की खुद की थी। जो उन्होनी स्वयं फाडी थी। भेराजी उनके साथ मृत्यु–पर्यन्त रहे। तथा उन्होने इस जमीन के बाबत पिताजी भेराजी ने मुझे वसीयत लिखी थी। जिसकी रजिस्ट्री भी हुई थी। जो प्रदर्श –1 है। उॅकारलाल यह भी कथन करता है कि मेरे पिताजी ने पन्नालाल को कोई जमीन नही दी थी। मुझ अकेले को दी थी। इसके अलावा उसने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि भेराजी ने बॅटवारा करके एरियापति वाली जमीन मुझे दी हो और गुमान जी की ओडी वाली जमीन पन्नालाल को दी हो।

मेने प्रदर्श–1 वसीयत का अवलोकन किया तथा साथ मे वादी उॅकारलाल द्वारा इस संबंध मे दिये गये बयान का भी अवलोकन किया। इस संबंध मे अगर प्रतिवादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो उनके द्वारा इस वसीयत के संबंध मे खण्डन साक्ष्य जवाबदावे के अलावा पेश करने मे असफल रहे हे। इसके अलावा प्रतिवादी जमनालाल के जिरह का अवलोकन करे तो उसने तो इस वसीयत के बारे मे अनभिज्ञता जताते हुवे यहा तक कहा कि अगर भेराजी ने कोई इस आशय की वसीयत की हो तो उसे नही पता। उसके द्वारा वसीयत फर्जी होने अथवा Manupulated होंने कथन नहीं किया है। इसके अलावा प्रतिवादी की ओर से और कोई ऐसा सक्षम गवाह भी पेश नहीं हुवा है जो वादग्रस्त वसीयत की प्रमाणिकता पर सवाल खडा करे। उक्त वसीयत भेराजी की हस्ताक्षरशुदा होकर दो गवाहान से duly Attestted होकर तत्कालीन उप खण्ड मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ द्वारा सत्यापित की गई जाहिर होती हैं। दौराने सुनवाई न्यायालय द्वारा वादी द्वारा पेश धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के आवेदन पर सुनवाई कर उक्त वसीयत को 30 वर्ष पुरानी होकर Duly प्रमाणित मान कर उसके विधिवत रुप से निष्पादित होने की उपधारणा पुर्व मे ही की जा चुकी है। ईसलिये यह धारित करने मे कतई संशय नहीं है कि स्वं भेराजी वे वादी के पक्ष मे वादग्रस्त वसीयत प्रदर्श–1 निष्पादित की है। वादी यह साबित करने मे सफल रहा है। जहॉ तक वाद्रस्त आराजीयात के भेराजी की स्वं–अर्जित होने का प्रश्न है। इसके लिये हमने वादी द्वारा प्रस्तुत रेवेन्यु रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श डी–9 जमाबन्दी संवत 1996 का अवलोकन किया तो यह पाया कि उक्त खाता मौरुसी होकर उक्त आराजीयात वादी के दादा मोती जी के खाते की होना पायी गई हे। जिसका खण्डन वादी ने नही किया ईसलिये वर्णित आराजी नम्बर 434 रकबा 3 बीस्वा, 435 रकबा 2 बीस्वा,437 रकबा 1 बीघा 3 बीस्वा, 438 रकबा 4 बीस्वा, 440 रकबा 1 बीघा 19 बीस्वा तथा 443 रकबा 1 बीघा 19 बीस्वा कुलिया रकबा 7 बीघा 14 बीस्वा है। जिनके नये नम्बर व रकबा प्रस्तुत रेकर्ड मिलान–शीट से 513 रकबा 0.04, 515 रकबा 0.05, 516 रकबा 0.03, 518 रकबा 0.18, 519 रकबा रकबा 0.02, 520 0.20, 521 रकबा 0.26, 522 रकबा 0.27 523 रकबा 0.38 तथा 545 रकबा 0.37 हेक्टर कुलिया 1.80 हेक्टर बनता है। चुकि यह आराजीयात मौरुसी/पेतृक जायदाद का हिस्सा होकर इसमे भेरा, तथा उसके दोनो पुत्रो वादी उॅकारलाल एवं पन्नालाल का बराबर यानि 1/3–1/3 हिस्सा है। कानुनन भेरा इसमे से केवल अपने हिस्से तक ही वसीयत कर सकता है। तथा 1/3 हिस्सा डॅकारलाल का माना जावेगा इस प्रकार 2/3 हिस्से की वसीयत किया जाना जायज है।

इसके अलावा सवंत 2013 से 2017 की जमाबन्दी प्रदर्श. 8 .मे दर्ज साबिक आराजीयात नम्बर 317 रकबा 1 बीघा 19 बीस्वा, 318 रकबा 1 बीघा 17 बीस्वा, 383 रकबा 1 बीघा 19 बीस्वा 384 रकबा 3 बीस्वा, 388 रकबा 8 बीस्वा, 389 रकबा 4 बीस्वा, 390 रकबा 4 बीस्वा, 391 रकबा 1 बीघा 1 बीस्वा, 392 रकबा 1 बीघा 1 बीस्वा तथा आराजी नम्बर 393 रकबा 13 बीस्वा कुलिया रकबा 10 बीघा होकर भेंरा पिता मोती के खातेदारी मे दर्ज है। जिसमे नये नंबर उपरोक्तानुसार मिलान–शीट प्रदर्श 15 के अनूसार यथा 513,514,515,516,517,518,519,520,,522,523,544,तथा 545 बने है। जिसमे आ.न. 524 रकबा 0.18 तथा 544 रकबा 0.05 मौरुसी जायदाद का हिस्सा नही होकर रेकर्ड के अनुसार स्वं अर्जित जायदाद का हिस्सा है। जिसमे उपरोक्तानुसार हिस्सा घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा रेकर्ड के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1228, 1229, 1230, 1231, 1234 तथा 1225 कुलिया रकबा 8 बीघा 19 बीस्वा भूमि जिसके नये नम्बर 1666,1667,1668,1670,1671,1672,तथा 16673 होकर कुलिया रकबा 1.92 हेक्टर हे। जो श्री भेराजी ने दिनांक 17.4.1960 को जरिये बेचान श्री देवीसिह पिता हरि सिह से खरीदी थी। जिसके लिये

उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ

Scanned with CamScanner

प्रदर्श 14 नामांतरण संख्या 15 दिनांक 8.4.1962 से खातेदारी मे दर्ज हुई जो स्पष्ट रुप से भेराजी की स्वं–अर्जित जायादाद मानी जावेगी जिसको भेराजी को कानुनन वसीयत करने का पुर्ण अधिकार हे। तथा यह आजीयात पुर्व से ही वसीयत मे दर्ज है।

उपरोक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुवे तनकी संख्या –1 वादी के हक मे उपरोक्तानुसार निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या–2</u> क्या वादी के बालिग होने पर भेराजी ने उनकी समस्त अचल–संपत्ति कृषि–भूमि वगैरा वादी के सिपुर्द की ? ....जिम्मे वादी

इस सम्बंध मे वादी द्वारा प्रस्तुतसाक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो वादी ने अपने मुख्य परीक्षण मे तथा जिरह मे यह कथन किया है कि वसीयत के समय वह नाबालिग था। तथा उसके मरने तक उसी के साथ रहे एवं वादग्रस्त बाराजीयात वही हॉक रहा था। जिसका खण्डन प्रतिवादी नही कर पाया है। तथा वादी के दीगर गवाह फारुक एवं संतराम ने भी इस बात की पुष्टि की है। प्रतिवादी जमनालाल ने भी इस बिन्दु पर अपनी ओर स्वय एवं दीगर गवाहआजाद एवं भॅवरलाल के बयान करा अपना कब्जा हों का कथन किया हे। परनु सारगर्भित रुप से अगर वर्तमान खाते की स्थित मे 1/2–1/2 हिस्सा लिखा होकर वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होतो यह कब्जा तन्हा अथवा शामलाती होना कोई ज्यादा मायना नही रखता। ईसलिये यह तनकी इसी प्रकार निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या–3</u> क्या वाद प्रस्तुत करने के आठ रोज पहले प्रतिवादीगण आधा हिस्सा वादग्रस्त आराजी मे लेने आये व जबरन लेने का इरादा जाहिर किया व पन्नालाल ने आधे हिस्से का नामांतरण खुलवा लिया व पश्चात् प्रतिवादीगण कमांक एक से 7 ने आधे हिस्से का नांमांतरण खुलवा लिया ?

.......जिम्मे वादी

इस तनकी के लिये जो वादी के जिम्मे थी। हमने उसके द्वारा पेश मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया तो पाया कि वादग्रस्त आराजीयात मे प्रतिवादीगण ने अपना 1/2 हिस्सा दर्ज करा लिया हे। यह स्वीकृत तथ्य है। शामलाती रुप से हॉकने का कथन भी किया है। ईसलिये इस तनकी को वादी के पक्ष मे साबित माना जाता हैं।

<u>तनकी संख्या–4</u> क्या वादी वादग्रस्त आराजीयात का तन्हा खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी है ? ....जिम्मे वादी

इस तनकी को भी साबित करने का जिम्मा वादी का था। इस संबंध मे अगर वादी की मौखिक साक्ष्य को पढा जावे तो वादी ने अपने बयान मे यह स्पष्ट रुप से आराजी अपने पिता की होना बता कर उसे वसीयत करना कहा हे। जिसकी विवेचना विस्तृत रुप से उपर की जा चुकी है। ईसलिये दुबारा वर्णन किया जाना आवश्यक नही है। चुकि तनकी नम्बर एक वादी के पक्ष मे निर्णित की जा चुकी है। तथा उसमे भी मौजा प्रतापगढ की आराजी नम्बर 513 रकबा 0.04, 515 रकबा 0.05, 516 रकबा 0.03, 518 रकबा 0.18, 519 रकबा रकबा 0.02, 520 0.20, 521 रकबा 0. 26, 522 रकबा 0.27 523 रकबा 0.38 तथा 545 रकबा 0.37 हेक्टर कुलिया 1.85 हेक्टर बनता है। चुकि यह आराजीयात मौरुसी/पेतृक जायदाद का हिस्सा होकर इसमे भेरा, तथा उसके दोनो पुत्रो वादी उॅकारलाल एवं पन्नालाल का बराबर यानि 1/3–1/3 हिस्सा है। कानुनन भेरा इसमे से केवल अपने हिस्से तक ही वसीयत कर सकता है। तथा 1/3 हिस्सा उॅकारलाल का माना जावेगा इस प्रकार 2/3 हिस्से की वसीयत किया जाना जायज है। ईसलिये उक्त आराजीयात मे वादी का 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता हैं। ईसके अलावा साबिक आराजी नम्बर 1228,1229,1230,1231,1234 तथा 1235 कुलिया रकबा 8 बीघा 19 बीस्वा भूमि मौजा प्रतापगढ जिसके नये नम्बर 1666, 1667, 1668, 1670, 1671, 1672, तथा 1673 होकर कुलिया रकबा 1.92 हेक्टर है। जो श्री भेराजी ने दिनांक 17.4.1960 को जरिये बेचान श्री देवीसिह पिता हरि सिह से खरीदी थी। जिसके लिये नामांतरण संख्या 15 दिनांक 8.4.1962 से खातेदारी मे दर्ज हुई जो स्पष्ट रुप से भेराजी की स्वं–अर्जित जायादाद मानी जावेगी। इसके अलावा रेकार्ड से आराजी नम्बर 524 रकबा 0.18 तथा 544 रकबा 0.05 हेक्टर भी स्वं अर्जित आराजीयात का ही हिस्सा है। जिसकी भी वसीयत भेराजी ने वादी के पक्ष मे निष्पादित की है। ईसलिये इस संपुर्ण आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा यह तनकी उपरोक्ता–नुसार तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ

Scanned with CamScanner

<u>तनकी संख्या–5</u> क्या वादी प्रतिवादीगण के विरुद्व स्थाई निषेद्याज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी ?

.......जिम्मे वादी

जैसा कि उपर निर्णित किया गया है कि वादी को उपरोक्तानुसार वादग्रस्त आराजीयात बाबत खातेदार घोषित किया जा चुका है। ईसलिये वादी इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी गण वादी के हक मे तन्हा खाते मे घोषित की गई आराजीयात पर कब्जा करने की कौशिश नही करे। साथ ही जिन न्बरान पर उन्हे पेतृक जायदाद होने के कारण शामलाती खातेदार घोषित किया गया हे। उसमे से भी वादी को बेदखल नही करे। इस प्रकार यह तनकी भी वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या–6</u> क्या भेराजी ने अपनी कृषि–भूमि का विभाजन कर वादग्रस्त जायदाद पन्नालाल के हिस्से मे व कब्जे मे दी व एरियापति हनुमान जी के क्षैत्र मे स्थित कृषि–भूमि वादी के हिस्से व कब्जे मे दी व इस प्रकार के विभाजन मे ऐसी कोई वसीयत भी है तो वह अप्रभावी हो गई है ?

........जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण का था। जिसमे अगर प्रतिवादी जमनालाल के बयान का उल्लेख किया जावे तो उसका कथन यह है कि ऐरियापति वादी जमीन वादी उॅकारलाल के कब्जे मे है तथा गुमानजी की ओडी वाली जमीन हमारे कब्जे मे है। लेकिन ऐसा कोई बॅटवारा नामा साक्ष्य मे पेश नही किया है। इसके अलावा उक्त गवाह ने जिरह मे यह स्वीकार किया है कि भेराजी ने उक्त जमीन के बाबत कोई वसीयत वादी के पक्ष मे की होतो उसकी जानकारी मे नही है। प्रतिवादीगण के दीगर गवाहान आजाद एवं भॅवरलाल भी यहीं कथन करते है कि ओडभ वाली जमीन प्रतिवादीगण हॉक रहे है। इस संबंध मे विधिक स्थिति यह है कि जहॉ खाते मे शामलाती इन्द्राज हो तथा संपत्ति एक ही परिवारी से संबंधित होतो शामलाती कब्जे की ही उपधारणा की जाती हे। लेकिन जहॉ Meats & bound बॅटवारा न्यायालय द्वारा नही हो जाता तब तक ऐसे शामलाती कब्जे को बॅटवारा नही माना जा सकता। यह एक पारिवारिक व्यवस्था तक ही सीमित माना जाता है। तथा अगर संपत्ति स्वअर्जित होतो ऐसी जायदाद की वसीयत किया जाना कानुनन वैध है। ईसलिये शामलाती काश्त के आधार पर वसीयत कानुनन निष्प्रभावी नही मानी जा सकती। इसके अतिरिक्त जिस प्रतिवादी जमनालाल ने जवाबदावा पेश नही किया वह बतौर प्रतिवादी गवाह मे पेश हुवा और उसने ही सारे दस्तावेज प्रदर्शित कराये। जबकि यह विधी का सुस्थापित सिद्वान्त है कि Without pleading no proof can be given ईसलिये यह माना जावेगा कि जब जमनालाल ने जवाबदावा ही पेश नही किया तो उसके द्वारा दी गयी साक्ष्य कोई महत्व नही रखती।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ (राज.)

ईसके अलावा प्रतिवादी के अधिवक्ता बहस के दौरान ऐसा कोई कानुन नही बता पाये जिससे यह साबित होता हो कि शामलाती कब्जे की स्थिति मे की गई वसीयत निष्प्रभावी हो जावे। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्व तय की जाती है।

इसके अलावा यहॉ यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद के लम्बित रहने के दौरान निषेद्याज्ञा होने के बाद भी बिना न्यायालय की ईजाजत के वादग्रस्त आराजीयात मेसे आराजीयात बेचान कर नांमांतरण खुलवा लिये। हमने धारा 52 संपत्ति हस्तान्तरण अधि. एवं वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अवलोकन किया तो यह पाया कि यह स्पष्ट है कि वाद के लम्बित रहते बगैर न्यायालय की अनुमति के ऐसे बेचान किया जाना अनुज्ञेय नही हें तथा कानुनन ऐसे किये गये अंतरण का कोई प्रभाव नही है। ईसलिये इन सभी अतंरण को निरस्त किया जाता है। तथा वाद के प्रारंभ की स्थिति की जमाबन्दी के रेकर्ड को ही सही माना जाकर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ

<u>दादरसी क्या होगी ?</u>

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर जहॉ एक से लगायत पॉच तक की वादी के पक्ष मे तथा तनकी संख्या छः प्रतिवादीगण के विरुद्व तय की गई है। ईसलिये वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिकी किये जाने योग्य है।

Scanned with CamScanner

—:आदेश:—

वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को मौजा प्रतापगढ पटवार हल्का प्रतापगढ़ की आराजी 1666 रकबा 0.19, 1667 रकबा 0.47, 1668 रकबा 0.07, 1670 रकबा 0.42, 1671 रकबा 0.20, 1672 रकबा 0.06, तथा 1673 रकबा 0.51, 524 रकबा 0.18 तथा 544 रकबा 0.05 हैक्टेयर होकर कुलिया रकबा 2.15 हैक्टेयर का तन्हा खातेदार घोषित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त मौजा प्रतापगढ पटवार हल्का प्रतापगढ़ की आराजी नम्बर 513 रकबा 0.04, 515 रकबा 0.05, 516 रकबा 0.03, 518 रकबा 0.18, 519 रकबा 0.02, 520 रकबा 0.20, 521 रकबा 0.26, 522 रकबा 0.27 523 रकबा 0.38 तथा 545 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुलिया 1.85 हैक्टेयर में से 2/3 भाग का खातेदार वादी को तथा 1/3 भाग का प्रतिवादीगण को घोषित किया जाता है। चुंकि वादी द्वारा केवल धारा 88–89 राज टिनेन्सी एक्ट के अतर्गत केवल घोषणा का ही वाद दायर किया था। परन्तु निर्णय मे कुछ भुमि पेतृक होने से वादी को शामलाती खातेदार घोषित किया गया है। इस लिये यह आवश्यक हो जाता है कि एवं न्याय कें उद्वेश्य की पूर्ति हेतु भी यह समीचीन प्रतीत होता है कि वादी को शामलाती आराजीयात बाबत बॅटवारा कराने का आदेश 7 नियम 7 जा.दी. के तहत अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हे। ईसलिये शामलाती खातेदार घोषित किये जाने की सीमा तक यह निर्णय एवं इसके अधीन पारित डिक्री प्रारंभिक मानी जावेगी। तथा वादी शामलाती आराजीयात का बॅटवारा कराने का अधिकारी होगा।

इसके अलावा वाद के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा किये गये संपुर्ण बेचान व इसके आधार पर स्वीकृत किये गये सारे नामांतरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 08/08/2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ
(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी,
प्रतापगढ

Scanned with CamScanner

डिगरी व मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 रूल 67 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ राज.
बइजलास – श्री राजेश कुमार नायक R.A.S.

1. श्री ऊँकारलाल पिता भैराजी माली निवासी प्रतापगढ़ राज0

......वादी

–ःबनामः–

1. मांगीलाल पिता पन्नालाल माली मृतक के बजाय वारीसान

   1/1– प्रेमचंद पिता मांगीलाल माली

   1/2– श्याम पिता मांगीलाल माली

   निवासीयान प्रतापगढ़ राज0
2. अम्बालाल पिता पन्नालाल माली
3. जमनालाल पिता पन्नालाल माली
4. राधेश्याम पिता पन्नालाल माली
5. अमृतराम पिता पन्नालाल माली

   सभी निवासीयान प्रतापगढ़ राज0
6. श्री तहसीलदार प्रतापगढ़ राज0

.....प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ (राज.)

वाद अतर्गत धारा 88–89,188 व 136 राज. टिनेन्सी एक्ट

मुकदमा नम्बर–195/1994
निर्णय दिनांक :– 08/08/2024

उपस्थितः–
1. श्री अजय कुमार पिछोलिया अधिवक्ता वादी उपस्थित ।
2. श्री प्रमोद तम्बोली अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित प्रति.स. 3 की ओंर से।
3. श्री प्रवीण बोरदिया अधिवक्ता प्रतिवादी अनुपस्थित प्रति. स. 1/1।
4. शेष प्रतिवादीगण की ओंर से कोई उपस्थित नहीं।

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी मिनजानिब मुदयलह मिनजानिब मुदई पेश होकर हुकूम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद डिकी किया जाकर वादी को मौजा प्रतापगढ पटवार हल्का प्रतापगढ़ की आराजी 1666 रकबा 0.19, 1667 रकबा 0.47, 1668 रकबा 0.07, 1670 रकबा 0.42, 1671 रकबा 0.20, 1672 रकबा 0.06, तथा 1673 रकबा 0.51, 524 रकबा 0.18 तथा 544 रकबा 0.05 हैक्टेयर होकर कुलिया रकबा 2.15 हैक्टेयर का तन्हा खातेदार घोषित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त मौजा प्रतापगढ पटवार हल्का प्रतापगढ़ की आराजी नम्बर 513 रकबा 0.04, 515 रकबा 0.05, 516 रकबा 0.03, 518 रकबा 0.18, 519 रकबा 0.02, 520 रकबा 0.20, 521 रकबा 0.26, 522 रकबा 0.27 523 रकबा 0.38 तथा 545 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुलिया 1.85 हैक्टेयर में से 2/3 भाग का खातेदार वादी को तथा 1/3 भाग का प्रतिवादीगण को घोषित किया जाता है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/08/2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ

Scanned with CamScanner

मुद्दई	रूपया	मुदायला	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		स्टाम्प वकालात नामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	

प्रतापगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
प्रतापगढ

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner